

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 16 अगस्त, 2016

संख्या 18/ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2016. — हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 17/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2016, दिनांक 2 अगस्त, 2016, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ख तथा ग में 2 अगस्त, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,

1. अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 35 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“35क मेहंदी के पत्ते और इसका पाउडर”;

2. अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 100क तथा उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा ।

अनुराग रस्तोगी
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 16th August, 2016

No. 18 /H.A. 6/2003/S.59/2016. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. Web No. 17/H.A. 6/2003/S.59/2016, dated the 2nd August, 2016, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedules B and C appended to the said Act with effect from 2nd August, 2016 namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

1. in Schedule B, under columns 1 and 2, after serial number 35 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“35A Mehandi leaves and its powder”;

2. in Schedule C, under columns 1 and 2, serial number 100A and entry thereagainst shall be omitted.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.